न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO), बाड़मेर

नाम पीठासीन अधिकारी :– श्री रामदरसिंह भाटी आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या :– 288/2024

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
ग्राम पंचायत हुडों की ढाणी जरिए सरपंच ग्राम पंचायत हुडों की ढाणी पंचायत समिति बायतु, जिला बाड़मेर		1. राजस्थान राज्य जरिए तहसीलदार बायतु (वर्तमान तहसीलदार बाटाडु)

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 131, 136 RLR Act.

उपस्थिति :–

1 श्री विष्णु चौधरी, वकील प्रार्थी।
2 पैरोकार सरकार, अप्रार्थी।

आदेश

दिनांक 07/08/24

संक्षिप्त में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ग्राम पंचायत हुडों की ढाणी (कार्यालय भवन) की भूमि मौजा हुडों की ढाणी पटवार हल्का कोसरिया तहसील बाटाडु के खसरा संख्या 596/595 रकबा 0.4045 हैक्टेयर पंचायत भवन आया हुआ है। उक्त वादग्रस्त आराजी प्रार्थी के नाम राजस्व रेकर्ड में अंकित है एवं प्रार्थी का कब्जा है जिस पर पंचायत का कार्यालय भवन निर्माणाधीन है। उक्त आराजी का परिशिष्ठ "अ" में बरंग लाल अनुसार प्रार्थी का कब्जा है, किन्तु राजस्व रेकर्ड में तरमीम करते समय गलत तरमीम परिशिष्ठ "अ" में बरंग हरा अनुसार हो गई, जो मौके से हटकर गलत तरमीम है। लिहाजा मौजा हुडों की ढाणी पटवार हल्का कोसरिया तहसील बाटाडु के खसरा संख्या 596/595 रकबा 0.4045 हैक्टेयर भूमि की राजस्व नक्शा में तरमीम परिशिष्ठ "अ" बरंग हरा अनुसार गलत एवं अशुद्ध तरमीम को निरस्त किया जाकर परिशिष्ठ "अ" बरंग लाल अनुसार सही तरमीम दुरूस्त करने का आदेश फरमावें।

आवेदन दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी सरकार के पैरोकार उपस्थित।

तहसीलदार बायतु ने अपने पत्रांक भू.अ./2023/849 दिनांक 01.05.2023 को रिपोर्ट इस आशय की उपलब्ध करवाई कि कार्यालय तहसीलदार बायतु के आदेश क्रमांक /राजस्व/2018/4–6 दिनांक 21.02.2018 द्वारा समर्पण होने से खसरा संख्या 595/88 रकबा 06.00 बीघा (0.9708 हैक्टेयर) भूमि का राजस्व ग्राम हुडों की ढाणी के नामान्तरकरण संख्या 727/दिनांक 22.02.2018 स्वीकृत होने से उक्त भूमि राजस्थान सरकार के नाम राजस्व अभिलेख में अमल दरामद हुई। उक्त समर्पण प्रस्ताव में प्रस्तावित तरमीम व लट्ठा ट्रेस की तरमीम के अनुरूप है तथा श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी बायतु के आदेश क्रमांक/राजस्व/2018/358–62 दिनांक 16.03.2018 द्वारा उक्त खसरा में से 02.10 बीघा (0.4045 हैक्टेयर) भूमि ग्राम पंचायत कार्यालय भवन हेतु आवंटित की गई जिसका नामान्तरण संख्या 730 दिनांक 23.09.2018 स्वीकृत होने के पश्चात् उक्त 02.10 बीघा भूमि ग्राम पंचायत हुडों की ढाणी पंचायत भवन के नाम से राजस्व अभिलेख में अमल दरामद की गई तथा उक्त आवंटित आदेश में प्रस्तावित तरमीम के अनुसार ही लट्ठा ट्रेस में तरमीम का अंकन किया गया। मौके पर निरीक्षण से ज्ञात हुआ कि ग्राम पंचायत भवन का कुछ हिस्सा पानी का टांका, आवंटित खसरा संख्या 596/595 रकबा 0.4045 में न होकर खसरा संख्या 595/88 में आता हैं। जिसके कारण लट्ठा ट्रेस की तरमीम व मौका स्थिति में भिन्नता पायी गई है। लिहाजा वर्तमान लट्ठा ट्रेस की तरमीम खसरा संख्या 596/595 व खसरा संख्या 595/88 की है तथा नवीन तरमीम संलग्न नक्शा परिशिष्ठ "ब" अनुसार प्रस्तावित की गई है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Veerma Ram
Date: 2024.11.25 13:03:51 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बाड़मेर

उभय पक्षों को सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के संलग्न दस्तावेज जमाबन्दी संवत् 2076 से 2079 एवं श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी बायतु द्वारा भूमि आवंटित आदेश एवं नामान्तकरण एवं तहसीदार बायतु द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट का गंभीरता पूर्वक अवलोकन किया गया। तहसीलदार बायतु ने मौका रिपोर्ट में अंकित किया है कि खसरा संख्या 595/88 रकबा 06.00 बीघा (0.9708 हैक्टेयर) भूमि का राजस्व ग्राम हुडों की ढाणी के नामान्तरकरण संख्या 727 दिनांक 22.02.2018 स्वीकृत होने से उक्त भूमि राजस्थान सरकार के नाम राजस्व अभिलेख में अमल दरामद हुई। उक्त समर्पण प्रस्ताव में प्रस्तावित तरमीम व लठ्ठा ट्रेस की तरमीम के अनुरूप है तथा श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी बायतु के आदेश क्रमांक/राजस्व/2018/357 दिनांक 16.03.2018 द्वारा उक्त खसरा में से 02.10 बीघा (0.4045 हैक्टेयर) भूमि ग्राम पंचायत कार्यालय भवन हेतु आवंटित की गई जिसका नामान्तकरण संख्या 730 दिनांक 23.09.2018 स्वीकृत होने के पश्चात् उक्त 02.10 बीघा भूमि ग्राम पंचायत कार्यालय भवन के नाम से राजस्व अभिलेख में अमल दरामद की गई तथा उक्त आवंटन आदेश में प्रस्तावित तरमीम के अनुसार ही लट्ठा ट्रेस में तरमीम का अंकन किया गया। ग्राम पंचायत भवन का कुछ हिस्सा पानी का टांका, आवंटित खसरा संख्या 596/595 रकबा 0.4045 में न होकर खसरा संख्या 595/88 में आते हैं। समर्पण कर्ता श्रीमती वाली देवी पत्नी मोहनलाल द्वारा तहसीलदार बायतु के समक्ष प्रस्तुत समर्पण आवेदन पत्र के अनुसार समर्पित की गई भूमि को ग्राम पंचायत के कार्यालय एवं भवन हेतु उपखण्ड अधिकारी बायतु द्वारा भूमि आवंटित की गई थी। तहसीलदार बायतु द्वारा भी अपनी रिपोर्ट में समर्पित भूमि के अनुसार ही आवंटन आदेश की तरमीम होना बताया है। उपखण्ड अधिकारी बायतु द्वारा ग्राम पंचायत भवन का निर्माण आवंटित स्थल से अन्य स्थान पर निर्माण करने पर प्रस्तावित निर्माण को अतिक्रमण मानते हुए थानाधिकारी को निर्माण रूकवाने हेतु पूर्व में निर्देशित किया गया है। इस प्रकार प्रस्तावित निर्माण को बिना अनुमति मानकर रूकवाया गया था। अतः इससे स्पष्ट होता है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र स्वीकार किए जाने योग्य है।

उपर्युक्त विवेचनोपरान्त हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि तहसीलदार बायतु के समक्ष प्रस्तुत समर्पण आवेदन पत्र के अनुसार समर्पित की गई भूमि को ग्राम पंचायत के कार्यालय एवं भवन हेतु उपखण्ड अधिकारी बायतु द्वारा भूमि आवंटित की गई थी। तहसीलदार बायतु द्वारा भी अपनी रिपोर्ट में समर्पित भूमि के अनुसार ही आवंटन आदेश की तरमीम होना बताया है। प्रार्थी आवंटन आदेश में संशोधन करवाने हेतु स्वतंत्र है। प्रार्थी द्वारा उक्त आदेश के माध्यम से की गई तरमीम को दुरूस्त करवाने हेतु प्रस्तुत आवेदन विधि सम्मत नही है। प्रार्थी उक्त आदेश को अपील के माध्यम से चुनौती दे सकते है।

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र विधि सम्मत नहीं होने से खारिज किया जाता है।

(समदरसिंह भाटी)
उपखण्ड अधिकारी
(SDO), बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Veerma Ram
Date: 2024.11.25 13:03:51 IST
Reason: SelfAttested

आदेश आज दिनांक 07/08/23 को सरें इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
(SDO) बाड़मेर